RNI No: UPHIN/2010/32733

# ग्राम भारती

कृषि,ग्रामीण विकास,सहकारिता और पंचायती राज का पाक्षिक

वर्ष 12 अंक 10 01 सितंबर 2021 बुधवार मूल्य 5 रुपये पृष्ठ 12

# बकाए पर अब नहीं कटेगा किसान का बिजली कनेक्शनः योगी आदित्यनाथ

## मुख्यमंत्री आवास पर हुआ किसान संवाद कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश समाचार सेवा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसानों का परिश्रम ही किसानों की पहचान है। परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत डेढ़ वर्षों से देश और दुनिया कोरोना से जूझ रही है। लेकिन इस दौरान हमारे अन्नदाता किसानों ने कोरोना का डटकर मुकाबला करते हुए रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन किया। चीनी मिलें सुचारु रूप से चलती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किसानों के कल्याण एवं आय को दोगुनी करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया था।

मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह् के रूप में 'हल' भेंट किया।

वहीं कोरोना के बावजूद इस वर्ष 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। वर्ष 2016 में 16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जबकि विगत एक वर्ष में 66 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीद की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने

### फसल अवशेष जलाने के मुकदमें वापस होंगे, जुर्माना समाप्त किया जाएगा:मुख्यमंत्री

वर्ष 2010 से लम्बित पड़े गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य करते हुए एक लाख 42 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान करा दिया जाएगा। कोरोना काल में भी प्रदेश में चीनी मिलें चलती रहीं। साथ ही, रमाला, मुण्डेरवा व पिपराइच में नई चीनी मिलों की स्थापना की गई। खाण्डसारी उद्योग में लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से तथ पूर्व क्षेत्र की चीनी मिलें नवम्बर के पहले सप्ताह से प्रारम्भ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 वर्षों से लम्बित बाणसागर परियोजना को प्रदेश सरकार ने पूरा किया है, जिससे ढाई लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजनाओं पर पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल बकाए के कारण एक भी किसान बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। किसानों के पुराने बिजली बिल बकाए पर ब्याज देय न हो, इसके लिए ओटीएस स्कीम लायी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे। जुर्माना समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह् के रूप में 'हल' भेंट किया।

कार्यक्रम में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश में विगत 4 वर्षों में गन्ने की फसल के क्षेत्रफल में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई है। विधान परिषद सदस्य स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए तत्पर है। कार्यक्रम के दौरान बाराबंकी के रामसेवक वर्मा, बागपत के देवेन्द्र, सहारनपुर के हरवीर सिह, सहारनपुर के श्यामजीत त्यागी, लखीमपुर खीरी के धर्मपाल मौर्य पूर्वांचल के सुधीर कुमार ने विचार व्यक्त किये।

## भीतर पढ़ें

खेत-खलिहान

सितम्बर माह के कृषि कार्य

पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार

- भुखमरी को समाप्त करने में पंचायतों की भूमिका
- संपादकीय
- राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा
- गन्ना मूल्य निर्धारित
- जीन बैंक की शुरुआत
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
- ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच
- परिसंपत्तियों से ६ लाख..
- पंचायतों को साफ पानी..
- युग पुरुष कल्याण सिंह
- जनविश्वास के कस्टोडियन
- उत्तर प्रदेश में बीज ग्राम

आगामी अँक

पंचायत और अंत्योदय विशेषांक

१६ से ३० सितम्बर २०२१

-अंत्योदय से राष्ट्रोदय विशेष आलेख एवं साक्षात्कार
-अंत्योदय के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर विशेष
-पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार
-शाहजहांपुर के विमोचन कार्यक्रम पर सचित्र रिपोर्ट
-कृषि और ग्रामीण समाचार
-खेत खलिहान में अक्टूबर माह के कृषि कार्य
-ग्राम संवाद में ग्रामीण जन जीवन पर रिपोर्ट
-अन्य स्थायी स्तम्भ

ग्राम भारती पाक्षिक में विज्ञापन तथा ग्राहक बनने तथा नियमित प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करें
कार्यालयः 119-सी, प्रथम तल, प्रिंस काम्पलेक्स, हजरतगंज
लखनऊ-226001
मो. 9453272129, 9140624166
Mail:grambhartilko@gmail.com

# भुखमरी को जड़ से समाप्त करने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण

## सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं पंचायतों की भूमिका, सतत विकास लक्ष्य्य २- शून्य भुखमरी (जीरो हंगर) विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार

केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक समुचित विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत कार्य कर रही है एवं विगत सात वर्ष में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की ढाई लाख से ज्यादा पंचायतें ग्रामीण अंचल में ग्लोबल पार्टनर (वैश्विक भागीदार) की भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। देश में भुखमरी को जड़ से समाप्त करने के लिए पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं एवं इस दिशा में हमे अब ओर तेज गति से कार्य करना है। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने यह बात पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं पंचायतों की भूमिका, सतत विकास लक्ष्य २- शून्य भुखमरी (जीरो हंगर)' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में कही।

वेबिनार में पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज हम स्वंतत्रता के ७५ वें वर्ष में प्रवेश के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में भुखमरी मुक्त विश्व जैसे गंभीर और सामयिक विषय पर चिंतन करने के लिए मैं पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों को बधाई देता हूं। श्री सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में एशिया ही ऐसा भूभाग है जहां दुनिया के दो तिहाई लोग रहते हैं और यह एक कड़वी सच्चाई है कि एशिया में ५१ करोड़ लोग अल्पपोषित हैं। हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर कार्य करना है।

पंचायती राज मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमे नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। विगत सात वर्षों में भारत ने कई क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। आज भारत बिजली संकट से मुक्त हो चुका है। श्री सिंह ने अपने उद्बोधन में उत्पादक रोजगार के विषय पर बल देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने एवं मनरेगा में रोजगार के साथ ही उपयोगी उत्पादन पर कार्य किया जा रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि देश की ढाई लाख पंचायतों में ३१.६५ लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें आधी संख्या महिलाओं की है। इन संस्थाओं के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों का दायित्व है कि कैसे सशक्त, उत्तरदायी एवं पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से देश के गांव-गांव में सुराज को स्थापित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत सात वर्षों में पंचायतों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने का कार्य किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान के तहत तेरहवें वित्त आयोग से तीन गुना ज्यादा धनराशि देना ही हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मिलकर सरकार की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करें। पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें भुखमरी

> *चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान के तहत तेरहवें वित्त आयोग से तीन गुना ज्यादा धनराशि प्रदान की गई है, वहीं पंद्रहवें वित्त आयोग में लगभग २ लाख ८० हजार करोड़ रुपए की राशि पंचायातों में पहुंच रही है।*

प्रदान की गई है, वहीं पंद्रहवें वित्त आयोग में लगभग २ लाख ८० हजार करोड़ रुपए की राशि पंचायातों में पहुंच रही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करें।

पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचातयों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायतें आ चुकी हैं, वे पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। इस माध्यम से आनलाइन पेमेंट किया गया है। बेहतर सेवा पारदर्शिता के साथ को खत्म करना, गरीबी खत्म करना व खाद्य सुरक्षा तीनों आपस में जुड़े हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने कहा कि देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था को सशक्त करने, गांव तक सुराज पहुंचाने और शासन व्यवस्था की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। संविधान के ७३ वे संशोधन के माध्यम से पंचायतों को अनिवार्य सवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए इतना सशक्त बनाया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पंचायतों पर दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर नजर रखें। पंचातयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव में कमजोर एवं गरीब वर्ग को सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों और इस तरह के परिवार आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो। पंचायतों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव में किसी भी कारण से भुखमरी के हालात निर्मित न हों। गांव के कमजोर वर्ग का डाटा तैयार करके सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम तीव्र गति से होना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कुपोषण एवं भुखमरी को समाप्त करने में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं में भी ५० प्रतिशत बहनों की जनप्रतिनिधि के रूप में भागीदारी है। गांवों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें और अधिक गति दी जाना चाहिए। श्री कुलस्ते ने कहा कि कुछ राज्यों ने कुपोषण समाप्ति की दिशा में बेहतर कार्य किया है, वहां की श्रेष्ठ प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिस) को संपूर्ण देश की पंचायतों के सामने लाना चाहिए तथा पंचायतों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के १७ लक्ष्य निर्धारित किए उसमे भारत के साथ ही दुनिया के कई देश हस्ताक्षरित है। २०३० तक इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य है। १७ सतत विकास लक्ष्यों में से अधिकांश की प्राप्ति में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतों को इन लक्ष्यों को अंगीकार करके इन्हें पूर्ण करने का संकल्प लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीरो हंगर के लक्ष्य में पंचायतों की भूमिका अत्यधिक आवश्यक है। श्री कुमार ने कहा कि ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना (वीपीआरपी) को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में जोड़ने के लिए १५ अगस्त से पूरे देश में प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय वेबिनार के चार सत्रों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, पंचायत निदेशालय, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय (ओ/ओ पीएसए, जीओआई) की तरफ से विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली, आईआईएफपीटी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की प्रस्तुति ( प्रेजेंटेशन) के अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के श्रीनगर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती नवनीत संधू, केरला इंस्टीट्यूट आफ् लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए), उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, मिजोरम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसायटी, कर्नाटक के कोप्पल जिला पंचायत की सीईओ और मध्य प्रदेश डीएवाई-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा अनुभव साझा किया गया।

कार्यक्रम में अपर सचिव डा. चंद्रशेखर कुमार ने स्वागत भाषण एवं आभार व्यक्त आर्थिक सलाहकार श्री (डा.) बिजया कुमार बेहरा ने किया।

# ग्राम भारती

पाक्षिक

RNI NO.: UPHIN/2010/32733

(उ.प्र.समाचार सेवा का सहयोगी प्रकाशन)

वर्ष 12, अंक 10

संपादक

सर्वेश कुमार सिंह

पृष्ठ 12, मूल्य 5 रुपये

संपादकीय कार्यालय

119-सी, प्रथम तल, प्रिंस काम्पलेक्स, हजरतगंज, लखनऊ-226001

ग्राम भारती पाक्षिक के लिए स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक सर्वेश कुमार सिंह द्वारा मार्डन प्रिंटर्स,10 घसियारी मण्डी, कैसरबाग, लखनऊ-226001 से मुद्रित एवं 103-117 प्रथम तल, प्रिंस काम्पलेक्स, हजरतगंज, लखनऊ-226001 से प्रकाशित।

Phone: 9453272129 , WhatsAPP :9140624166

ई-मेल: grambhartilko@gmail.com


## बदलेगी गांव की तस्वीर,४ गुना आबंटन

विकास कार्यों के लिए भारत सरकार की ओर से आबंटित होने वाले धन का प्रवाह अब गांवों की ओर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से गांवों पर फोकस करके धन का आबंटन बढ़ाया गया है। वह सरकार के दृढ़ निश्चय और गांवों के प्रति ईमानदारी की सोच का परिचायक है। इस धन के प्रवाह से आने वाले पांच सालों में गांवों की तस्वीर ही बदल जाएगी। गांव वास्तव में स्मार्ट होंगें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धन से गांवों में मूलभूत सुविधाओं में से एक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होगी और गांवों में सफाई पर विशेष ध्यान देकर जनजीवन को सुधारा जाएगा। गांवों के विकास के लिए यह धन का प्रवाह सुनिश्चित हुआ है,१५वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद,आयोग ने गांवों के करीब पांच लाख गांवों के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। आयोग ने पांच वर्षों में होने वाले विकास के लिए २ लाख ३६ हजार करोड़ रुपये आबंटित करने की संस्तुति की है। यह धन ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। इसमें से हाल ही में जारी १ लाख ४२ हजार करोड़ रुपये गांवों में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल और साफ-सफाई पर व्यय होंगे। इस धनराशि को पंचायत राज विभाग को जारी कर दिया गया है। केन्द्र सरकार की गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने सही मायने में गांवों के विकास पर ध्यान दिया है। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि १३वें वित्त आयोग के लिए २०१०-११ से २०१४-१५ के लिये ६५ हजार १६० करोड़ ७१ लाख रुपये का आबटन किया गया था, जबकि १५वें वित्त आयोग के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने २ लाख ३६ हजार ८०५ करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि २०२१-२२ से २०२५-२६ के मध्य व्यय की जाएगी। यह अकल्पनीय है कि सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की तुलना में पन्द्रहवें वित्त आयोग के लिए लगभग चार गुना अधिक धनराशि की संस्तुति की है। यह समस्त धनराशि गांवों के विकास पर व्यय होनी है। अगले पांच साल में पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग के बीच ठीक से काम हो जाए और ग्रामीण जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण समर्पण और कर्मठता के साथ गांवों के लिये आने वाले इस धन का सदुपयोग कर लें तो कोई कारण नहीं है कि गांव की तस्वीर न बदल जाए। वित्त विभाग ने अभी आयोग की सिफारिशों पर जो एक लाख ४२ हजार करोड़ रुपये जारी किये हैं। उससे गांवों में पाइप से पेयजल आपूर्ति मुख्य है। गांवों में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हम सभी जानते हैं कि

### संपादकीय

आज भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। कई स्थानों पर स्वच्छ पेयजल न होने के कारण लोगों को अभी भी पानी के लिए दूरदराज तक भटकना पड़ता है। जानवरों को पीने के पानी के लिए तालाबों, पोखरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वाटर लेवल लगातार नीचे जाने से गांवों में हैंडपंप पानी देना बंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वच्छ पेयजल एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से लोगों को दूषित पानी भी पीना पड़ जाता है। जोकि गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। स्वच्छ पेयजल मिलने से गांवों में लोगों को अनेक संक्रामक रोगों और अस्वच्छ पानी से होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। हालांकि इस व्यवस्था का गांव के लोगों को मामूली शुल्क भी देना होगा। लेकिन, यह शुल्क उस असुविधा की तुलना में नगण्य है जोकि उन्हें पानी के लिए उठानी पड़ती है। पेयजल योजना से गांव में संचालित होने वाले प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रो, स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत घरों को भी पाइप से पानी मिल सकेगा। दूसरी ओर स्वच्छता अभियान भी गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल चूल सुधार करेगा। गांवों के लिए बड़ी धनराशि का आबंटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए।

## राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा,हिंदी और अंग्रेजी का संघर्ष !

संदीप खानवलकर

हर साल की तरह सरकारी मशीनरी १४ सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रभाषा या राजभाषा मनाने की रस्मी तैयारी में जुट गई है। ऐसा लगता है कि हम सालों साल यंत्रवत इस दिन को मनाने की तैयारी करते आ रहे हैं।

सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस पर कुछ प्रतियोगितायें आयोजित होंगी, प्रतियोगी भी हर साल की तरह वही चेहरे, जो हर साल हिंदी के लिए एक दिन के सिपहसलार बनते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदी दिवस अब एक मजबूरी का त्यौहार बन चुका है।

राष्ट्रभाषा के प्रति उत्साह में कमी, अपने देश की पहचान चिह्न के प्रति समर्पण में कमी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। ऐसा क्या है कि आजादी के अमृत महोत्सव ७५ वर्ष में हम अपनी राष्ट्रभाषा को यथा योग्य सम्मान नहीं दिला पाए हैं।

हर साल बस एक दिन और कर्तव्य की इतिश्री! यह भी सच है कि सरकारी स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयास और योजनायें बनी हैं। बस जनमानस की भागीदारी और समर्पण के और अधिक प्रयास जरूरी हैं।

कानून बनाकर अनिवार्यता करने से बेहतर है कि अपना देश संविधान, झंडा, राष्ट्रगान के साथ अब जनमानस में राष्ट्रभाषा के प्रति भी गर्व और

> राष्ट्रभाषा यानि जन जन की भाषा।

सम्मान का भाव बने।

राष्ट्रभाषा की बात होते ही उत्तर बनाम दक्षिण, क्षेत्रवाद, बोली, संस्कृति के तमाम मुद्दे संकीर्णतावश खड़ा करके विरोध के स्वर खड़ा कर लेते हैं।

हम सब को अपनी मातृभाषा से प्यार है, होना ही चाहिए लेकिन राष्ट्रभाषा को सर्वोच्च शिखर पर रखना भी हमारा दायित्व है। हमें संकल्प लेना है कि राष्ट्रीय चिह्नों के प्रति हम अधिक से अधिक गर्व, आदर और समर्पण का भाव रखें।

शहर के सभी सरकारी, व्यापारिक और अन्य प्रतिष्ठानों के बोर्ड हिंदी में अधिक से अधिक रहें। बोली और राष्ट्रभाषा के अघोषित संघर्ष में हम पिछले ७५ सालों से राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को ढो रहे हैं। जब आम बोल चाल में हम अंग्रेजी से कोसो दूर हैं तो अंग्रेजी के बोर्ड किसलिए ? बेहतर है कि राष्ट्रभाषा सबसे पहले और अंग्रेजी को जरूरी होने पर बोर्ड पर लिखा जाए।

सभी वाहनों पर अंग्रेजी की जगह हिंदी अक्षरों का प्रयोग हिंदी के प्रयोग में मील का पत्थर साबित हो सकता है। घर के बाहर नाम व पते की जानकारी राष्ट्रभाषा में लिखकर हम अपने देश के प्रति आदर प्रकट करते हैं। अंग्रेजी में हम किस को जताना चाहते हैं और इस का कोई औचित्य भी नहीं है। सोशल मीडिया में कंप्यूटर ने बाजार के अनुरूप सारी देशी विदेशी भाषाओं के लिए यूनिकोड बना लिए हैं। ऐसे में गलत सलत अंग्रेजी लिखने से बेहतर अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कंप्यूटर व मोबाइल पर हो। इसीलिए अब कंप्यूटर एक से अधिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं और हमें सदैव अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूक रहना है।

जब हम अपने भाव और रूतबा प्रदर्शित करने के लिए अपनी भाषा को छोड़कर बीच में अंग्रेजी घुसेड़ते हैं तो निश्चिय ही आप अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अपमान का भाव दिखा रहे हैं और अब इस मानसिकता को बदलने का संकल्प हिंदी दिवस पर लेना है।

# डेढ़ लाख किसानों से सम्पर्क करेगा गन्ना विभाग

**शाहजहांपुर।** जनपद के १६७० गन्ना ग्रामों में गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग की ११६ टीमें गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन का कार्य कर रही हैं। इस दौरान गन्ना पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर किसानों से सम्पर्क और गोस्टी कर उन्हें सर्वे सम्बंधी आकड़े दिखायेंगे। प्रदर्शन में गन्ना किसानों को उनके सर्वे एवं सट्टा से सम्बंधित सूचनायें देखने को मिलेंगी। राजकीय एवं चीनी मिल के गन्ना पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ग्रामों में जाकर सर्वे सूची को पढ़कर उपस्थित किसानों को सुनायेंगें तथा उन्हें अवलोकित भी करायेंगें। यह जानकारी जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम ने दी है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान को लगता है कि उनका गन्ना सर्वे सही दर्ज नहीं है तो मौके पर ही वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकतें है। इसके साथ ही किसान को अपना पूरा विवरण जैसे आधार नम्बर बैंक का नाम व खाता संख्या, बेसिक कोटा, ५ वर्श की औसत गन्ना आपूर्ति, ३ वर्श की औसत आपूर्ति एवं २ वर्श की औसत आपूर्ति, कुल सट्टा (कु) पेड़ी, पौधा, औसत उपज व अन्य विवरण भी देखने को मिलेगा। इसी मौके पर मृतक,

**जनपद में 1.80 लाख गन्ना किसान है तथा इस साल एक अनुमान के अनुसार 10,000 नये गन्ना किसान बढ़ने की सम्भावना है।**

भूमिहीन, पलायित किसानों का विवरण भी दर्ज किया जायेगा।

मृतक किसानों के वारिस सदस्यों को वारिस मेंम्बर बनाया जायेगा तथा मृतक किसानों के बेसिक कोटे का लाभ भी वारिस सदस्य को दिया जायेगा। ऐसे किसान जो सर्वे के दौरान अपने खेत पर उपस्थित नहीं थे उनके लिए यह एक अच्छा मौका है कि वह अपना सर्वे देख लें। कोई त्रुटि लगती है तो मौके पर ही सही करवा लें। जनपद में १.८० लाख गन्ना किसान है तथा इस वर्श एक अनुमान के अनुसार १०,००० नये गन्ना किसान बढ़ने की सम्भावना है। इन नये किसानो को आनलाइन समिति सदस्यता हेतु जागरूक किया जा रहा है। सभी किसानो का सर्वे आकड़ा ठीक कराने के बाद आकड़ों को फाइनल किया जायेगा। तत्पश्चात किसानों को प्राथमिक गन्ना कैलेण्डर का वितरण दिया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी ने समय से सट्टा प्रदर्शन का कार्य पूर्ण करने हेतु समस्त ज्येश्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं। कहा कि अभी तक ५० प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ३१ अगस्त तक शत-प्रतिशत सट्टा प्रदर्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।

# ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों को खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराई जाए : डीएम

शाहजहांपुर। ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराई जाएं और बच्चों में खेलने की एकाग्रता बढ़ाई जाए। यह बात जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिला युवा सलाहाकार समिति की आहूत बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों को खेलने हेतु फुटबाल व लड़कियों के लिए रस्सी कूद आदि खेल की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। युवा मण्डलों के माध्यम से बच्चों को खेलने के लिए किसी प्रकार की सामग्री चाहिए है, तो इस बात की पुश्टि कर ली जाए। ताकि बच्चों की इच्छानुसार खेलकूद की सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा सकें। डीएफओं द्वारा नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत चयनित समस्त १२ गंगा ग्रामों में एक व लीबाल व नेट उपलब्ध कराने की बात कही गई। जिससे युवा मंडल/गंगा दूतों में खेल की अच्छी प्रतिभा का निर्माण हो सकें। उक्त बैठक में सर्वप्रथम जिला युवा अधिकारी धिरंजन कुमार द्वारा १ अप्रैल से १५ अगस्त तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों से जैसे आत्मनिर्भर भारत, कोविड १६ जागरूकता, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि से अवगत कराया गया। जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे विनय कुमार सक्सेना द्वारा नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत किए गए और किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की व जिला गंगा समिति के निर्देशन में गंगा संरक्षण व आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत गंगा ग्रामों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। बैठक में अजय पाल द्वारा वेट लिफटिंग के खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने की बात कही। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह, नगर आयुक्त संतोश शर्मा, अपर नगर आयुक्त एसके सिंह उपस्थित रहे।

# सीजन २०२१-२२ के लिए गन्ने के लाभकारी मूल्य के निर्धारण को केंद्र की स्वीकृति

## गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य २९० रुपये प्रति क्विंटल को स्वीकृत

नई दिल्ली। गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन २०२१-२२ (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) २९० रुपये प्रति क्विंटल को स्वीकृति दी है। स्वीकृति के मुताबिक यह प्रत्येक ०.१ की वसूली में १० से अधिक की वृद्धि हेतु, और एफआरपी में रिकवरी हेतु प्रत्येक ०.१ की कमी के लिए २.९० रुपए प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम प्रदान करते हुए १० की मूल वसूली दर के लिए २९० रुपये प्रति क्विंटल होगी। हालांकि, सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली ९.५ फीसदी से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन २०२०-२१ में २७०.७५ रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन २०२१-२२ में २७५.५० रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। चीनी सीजन २०२१-२२ के लिए गन्ने की उत्पादन लागत १५५ रुपए प्रति क्विंटल है। १० की वसूली दर पर २९० रुपए प्रति क्विंटल की यह एफआरपी उत्पादन लागत से ८७.१ अधिक है, यह किसानों को उनकी लागत पर ५० से अधिक का रिटर्न देने के वादे को भी सुनिश्चित करती है।

वर्तमान चीनी सीजन २०२०-२१ में ९१,००० करोड़ रुपये मूल्य के करीब २,९७६ लाख टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा खरीद की गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है और न्यूनतम

*इस निर्णय से ५ करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत ५ लाख श्रमिकों को लाभ होगा*

समर्थन मूल्य के मामले में धान की फसल की खरीद के बाद दूसरे स्थान पर है। आगामी चीनी सीजन २०२१-२२ में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग ३,०८८ लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। गन्ना किसानों को किए जाने वाला कुल प्रेषण लगभग १,००,००० करोड़ रुपये होगा। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनकी बकाया धनराशि समय पर मिले।

स्वीकृत एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन २०२१-२२ (१ अक्टूबर, २०२१ से प्रारंभ) में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित क्षेत्र है जो कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के अलावा लगभग ५ करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों एवं चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग ५ लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है।

**पृष्ठभूमि**

एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया गया है। पिछले ३ चीनी सीजनों २०१७-१८, २०१८-१९ और २०१९-२० में, लगभग ६.२ लाख मीट्रिक टन (एलएमटी), ३८ एलएमटी और ५६.६० एलएमटी चीनी का निर्यात किया गया है। वर्तमान चीनी सीजन २०२०-२१ (अक्टूबर-सितंबर) में, ६० एलएमटी के निर्यात लक्ष्य के मुकाबले, लगभग ७० एलएमटी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और २३ अगस्त २०२१ तक ५५ एलएमटी से अधिक का वास्तविक रूप से देश से निर्यात किया गया है। चीनी के निर्यात से चीनी मिलों की तरलता में सुधार हुआ है जिससे वे किसानों का बकाया गन्ना मूल्य चुकाने में सक्षम हुई हैं।

सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनाल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो न केवल हरित ईंधन के रूप में कार्य करता है बल्कि कच्चे तेल के आयात के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की बचत भी करता है। पिछले २ चीनी सीजन २०१८-१९ और २०१९-२० में, लगभग ३.३७ एलएमटी और ६.२६ एलएमटी चीनी को इथेनाल में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान चीनी सीजन २०२०-२१ में २० लाख मीट्रिक टन से अधिक को परिवर्तित किए जाने की संभावना है। आगामी चीनी सीजन २०२१-२२ में, लगभग ३५ एलएमटी चीनी को इथेनाल में बदले जाने का अनुमान है और २०२४-२५ तक लगभग ६० एलएमटी चीनी को इथेनाल में बदलने का लक्ष्य है, जो अतिरिक्त गन्ने की समस्या के साथ-साथ विलंबित भुगतान का भी समाधान करेगा और इससे गन्ना किसानों को समय पर उनका भुगतान भी मिलेगा।

पिछले तीन चीनी सीजनों में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इथेनाल की बिक्री से चीनी मिलों/डिस्टिलरीज द्वारा २२,००० करोड़ रुपये के राजस्व का सृजन किया गया है। वर्तमान चीनी सीजन २०२०-२१ में चीनी मिलों को ओएमसी को इथेनाल की बिक्री से लगभग १५,००० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

पिछले चीनी सीजन २०१९-२० में लगभग ७५,८४५ करोड़ रुपये का गन्ना बकाया देय था, जिसमें से ७५,७०३ करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और अब केवल १४२ करोड़ रुपया बकाया हैं। हालांकि, वर्तमान चीनी सीजन २०२०-२१ में ९०,९५९ करोड़ रुपए के गन्ना बकाया में से २३ अगस्त २०२१ तक किसानों को ८६,२३८ करोड़ रुपये की गन्ना बकाया धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। गन्ने के निर्यात में वृद्धि और गन्ने से इथेनाल बनाने की प्रक्रिया से किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी आई है।

# नवीनीकृत जीन बैंक का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया लोकार्पण

**हमारे किसान बिना डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन: तोमर**
**जर्मप्लाज्म के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं सहित नवीनीकृत जीन बैंक से कृषि–किसानों को फायदा होगा: चौधरी**

नई दिल्ली। (पीआईबी) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Plant Genetic Resources& NBPGR) पूसा, नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर विजय प्राप्त करने में भारत के किसान पूरी तरह सक्षम हैं, हमारे किसान बिना किसी बड़ी शैक्षणिक डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की भलाई की लगातार चिंता रहती है और उनकी आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं।

श्री तोमर ने प्रो. बी.पी. पाल, प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन और प्रो. हरभजन सिंह जैसे दूरदर्शी विशेषज्ञों की सेवाओं को सराहते हुए कहा कि इन्होंने देश में स्वदेशी फसलों की विविधता संरक्षण के लिए मजबूत नींव रखी थी। हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, उसे पढ़कर देश की प्रगति के लिए सभी को भविष्य के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक इसी दिशा में एक सशक्त हस्ताक्षर है। यहां काम करने वाले स्टाफ को निश्चित ही संतोष व प्रसन्नता का अनुभव होता होगा कि वे विरासत को सहेजते हुए किस तरह से कृषि क्षेत्र व देश की सेवा कर रहे हैं। आज बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्मों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, कहीं ना कहीं असंतुलन है, जिसे दूर करने की कोशिशें सरकार किसानों को साथ लेकर कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि पुरातन काल में साधन-सुविधाओं का अभाव था, इतनी टेक्नालाजी भी नहीं थी, लेकिन प्रेकृति का ताना-बाना मजबूत था, पूरा समन्वय रहता था, जिससे तब देश में न तो कुपोषण था, ना ही भूख के कारण मौतें होती थीं। लेकिन जब यह ताना-बाना टूटा तो हमें मुश्किलें पेश आने लगीं और विशेष प्रयत्न करने की जरूरत पड़ी। सरकार के किसानों वं कृषि वैज्ञानिकों के साथ सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप आज खाद्यान्न की उत्पादन व उत्पादकता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीस-तीस साल पहले इतने प्रयत्न नहीं किए गए, खेती-किसानी के विकास पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसमें चूक हुई अन्यथा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र को लेकर आज दुनिया, भारत पर अवलंबित होती।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जर्मप्लाज्म के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं सहित नवीनीकृत जीन बैंक से कृषि-किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार सकारात्मक सोच से काम कर रही है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है, सरकार इस दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. त्रिलोचन महापात्र ने स्वागत भाषण देते हुए ब्यूरो की गतिविधियां व प्रगति बताई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने ब्यूरो के कुछ प्रकाशनों का विमोचन किया तथा पीजीआर मैप एप लांच किया। जीन बैंक के आधुनिकीकरण के लिए, ब्यूरो के हाल ही में सेवानिवृत निदेशक कुलदीप सिंह की सेवाओं को सराहा गया। आईसीएआर के उप महानिदेशक डा तिलक राज शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कार्यवाहक निदेशक अशोक कुमार व वीना गुप्ता सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद था।

पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के बीजों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने हेतु वर्ष १९९६ में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीज के रूप में लगभग १० लाख जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। वर्तमान में ४.५२ लाख परिग्रहण का संरक्षण कर रहा है,जिसमें २.७ लाख भारतीय जननद्रव्य है व शेष अन्य देशों से आयात किए हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, दिल्ली मुख्यालय व देश में १० क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन-सीटू और एक्स-सीटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

# कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुनरुद्धार के लिए ७७.४५ करोड़ रुपये (निधि आधारित समर्थन के लिए १७ करोड़ रुपये और गैर-निधि आधारित समर्थन के लिए ६०.४५ करोड़ रुपये ) के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है।

**लाभ**

पुनरुद्धार पैकेज के लागू होने से एनईआर के किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।

पुनरुद्धार पैकेज एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने
में मदद करेगा, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण देना, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं, विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करना, जीआई उत्पादों का पंजीकरण आदि।

निगम के राजस्व में वृद्धि होगी और वीआरएस एवं अन्य मदों में कटौती के उपायों से खर्च में कमी आयेगी तथा निगम निरंतरता के आधार पर लाभ प्राप्त करना शुरू कर देगा और भारत सरकार के ऋण पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

**रोजगार सृजन क्षमता**

एनईआरएएमएसी के पुनरुद्धार के कार्यान्वयन के बाद, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन, लाजिस्टिक्स, छंटाई व श्रेणीबद्ध करना और मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उम्मीद है कि लगभग ३३,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

**पूर्वोत्तर की कृषि को पैकेज**

**लक्ष्य**

पुनरुद्धार पैकेज एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं ताकि विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके, जीआई (भौगोलिक संकेतक) उत्पादों का पंजीकरण, एफपीओ और अन्य उत्पादकों को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा, बांस रोपण और मधुमक्खी पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ई-कामर्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जायेगी। भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे पीएम किसान संपदा योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि अवसंरचना कोष,कृषि उड़ान और किसान रेल का लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा। इसके अलावा, उच्च मूल्य वाली जैविक फसलों की खेती में शामिल किसान और उद्यमी के साथ गठजोड़ करने तथा अपने स्वयं के ब्रांडों जैसे "एनई फ्रेश" और "वन" (आर्गेनिक नार्थ ईस्ट) के तहत और नेफेड, ट्राइफेड आदि के माध्यम से फ्रैंचाइज़ी अवधारणा के आधार पर खुदरा आउटलेट शुरू करने की भी योजना तैयार की गयी है।

पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन से, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन, लाजिस्टिक्स, छंटाई व श्रेणीबद्ध करना और मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एनईआर के जैविक उत्पादों की जीआई टैगिंग तथा देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ विदेश में विपणन से इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे एनईआर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

# दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत देश में ११८३ शिविर आयोजित

भारत की स्वतंत्रता के ७५ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बेहद उत्साह के साथ मनाये जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) समारोह के एक हिस्से के रूप में १३ से १६ अगस्त २०२१ के बीच दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग ११८३ 'संघटन शिविर' आयोजित किए गए। इस अखिल भारतीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और राज्य कौशल मिशन (एसएसएम) ने विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ मिलकर काम किया।

**असम**

३७१ से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने पूरे देश में सप्ताह भर तक चलने वाले शिविरों के दौरान करीब ८३७६५ उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक संगठित किया। ये शिविर न केवल डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में लोगों की रुचि उत्पन्न करने में सफल हुए बल्कि आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए करीब ७५६६० उम्मीदवारों को नामांकित कराने में भी सफल रहे। कोविड सुरक्षा के सभी प्रोटोकाल और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एजेंसियों ने वर्चुअल तथा व्यक्तिगत दोनों तरह से शिविरों का आयोजन किया था।

**राजस्थान**

२५ सितंबर २०१४ को शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) भारत सरकार (जीओआई) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मनचाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को कम से कम ७० प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीसहित रोजगार के साथ परिणामोन्मुखी बनाया गया है।

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए २७ राज्यों तथा ३ केंद्र शासित प्रदेशों में प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ ही चलाया जा रहा है। ८७१ से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां २३८१ से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को करीब ६११ तरह नौकरी की नौकरियों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। ३१ जुलाई २०२१ तक कुल मिलाकर १०.६४ लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और ७.०७ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

# राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम आयल के क्रियान्वयन को मंजूरी

**□ *वित्तीय परिव्यय ११,०४० करोड़ रुपये निर्धारित, जिसमें से केंद्र सरकार ८,८४४ करोड़ रुपये वहन करेगी***

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ताड़ के तेल (पाम आयल) के लिये एक नये मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम आयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है और इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। खाद्य तेलों की निर्भरता बड़े पैमाने पर आयात पर टिकी है, इसलिये यह जरूरी है कि देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाई जाये। इसके लिये पाम आयल का रकबा और पैदावार बढ़ाना बहुत अहम है।

इस योजना के लिये ११,०४० करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार ८,८४४ करोड़ रुपये का वहन करेगी। इसमें २,१९६ करोड़ रुपये राज्यों को वहन करना है। इसमें आय से अधिक खर्च होने की स्थिति में उस घाटे की भरपाई करने की भी व्यवस्था शामिल की गई है।

इस योजना के तहत, प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष २०२५-२६ तक पाम आयल का रकबा ६.५ लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया जाये और इस तरह आखिरकार १० लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूरा कर लिया जाये। आशा की जाती है कच्चे पाम आयल (सीपीओ) की पैदावार २०२५-२६तक ११.२० लाख टन और २०२९-३० तक २८ लाख टन तक पहुंच जायेगी। इस योजना से पाम आयल के किसानों को बहुत लाभ होगा, पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी, रोजगार पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी।

वर्ष १९९१-९२ से भारत सरकार ने तिलहन और पाम आयल की पैदावार बढ़ाने के अनेक प्रयास किये थे। वर्ष २०१४-१५ में २७५ लाख टन तिहलन का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष २०२०-२१ में बढ़कर ३६५.६५ लाख टन हो गया है। पाम आयल की पैदावार की क्षमता को मद्देनजर रखते हुये वर्ष २०२० में भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर) ने पाम आयल की खेती के लिये एक विश्लेषण किया था। उसने लगभग २८ लाख हेक्टेयर में पाम आयल की खेती के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। लिहाजा, ताड़ के पौधे लगाने की अपार क्षमता मौजूद है, जिसके आधार पर कच्चे ताड़ के तेल की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में ताड़ की खेती के तहत केवल ३.७० लाख हेक्टेयर का रकबा ही आता है। अन्य तिलहनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर १० से ४६ गुना अधिक होता है। इसके अलावा एक हेक्टेयर की फसल से लगभग चार टन तेल निकलता है। इस तरह, इसकी खेती में बहुत संभावनाएं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखें और यह तथ्य भी देखें कि आज भी लगभग ९८ प्रतिशत कच्चा ताड़ का तेल आयात किया जाता है। इसे मद्देनजर रखते हुए योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि देश में ताड़ की खेती का रकबा और पैदावार बढ़ाई जाये। प्रस्तावित योजना में मौजूदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तेल ताड़ कार्यक्रम को शामिल कर दिया जायेगा। इस योजना में दो प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पाम आयल के किसान ताजे फलों के गुच्छे (एफएफबी) तैयार करते हैं,जिनके बीज से तेल-उद्योग, तेल निकालता है। इस समय इन एफएफबी की कीमतें सीपीओ के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार इन एफएफबी की कीमत के लिए किसानों



को आश्वासन दे रही है। यह व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इसके जरिये सीपीओ की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। यह व्यवहार्यता मूल्य पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक औसत सीपीओ कीमत के आधार पर होगा तथा थोक मूल्य सूचकांक में दिये गये पाम आयल के आंकड़े में १४.३ प्रतिशत का इजाफा कर दिया जायेगा। यानी व्यवहार्यता मूल्य इन दोनों को मिलाकर तय होगा। इसे तय करने की शुरुआत एक नवंबर से होगी और अगले वर्ष ३१ अक्टूबर तक की अवधि तक जारी रहेगी, जिसे 'पाम आयल वर्ष' कहा जाता है। इस आश्वसन से भारत के ताड़ की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ायेंगे। इस तरह ताड़ के तेल का उत्पादन भी बढ़ेगा। फार्मूला मूल्य (एफपी) भी निर्धारित किया जायेगा, जिसके तहत क्रेता-विक्रेता अग्रिम रूप से कीमतों पर राजी होंगे। यह महीने के आधार पर सीपीओ का १४.३ प्रतिशत होगा। अगर जरूरत पड़ी तो व्यवहार्यता मूल्य व फार्मूला मूल्य के आधार पर आय-व्यय के अंतराल की भरपाई की जायेगी, ताकि किसानों को घाटा न हो। इस धनराशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में सीधे किसानों के खातों में भेज दिया जायेगा।

किसानों को व्यवहार्यता अंतराल की भरपाई के रूप में आश्वासन दिया गया है। उद्योग सीपीओ कीमत का १४.३ प्रतिशत का भुगतान करेंगे,जो १५.३ प्रतिशत तक बढ़ सकता है। योजना में यह प्रावधान भी किया गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद नियम-कानून स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इसकी तारीख एक नवंबर, २०३७ तय की गई है। पूर्वोत्तर और अंडमान में इस सम्बन्ध में तेजी लाने के लिये केंद्र सरकार सीपीओ की दो प्रतिशत लागत अतिरिक्त रूप से वहन करेगी, ताकि यहां के किसानों को देश के अन्य स्थानों के किसानों के बराबर भुगतान सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित तौर-तरीकों को अपनाने वाले राज्यों को योजना में उल्लिखित व्यवहार्यता अंतराल भुगतान का लाभ मिलेगा। इसके लिये उन्हें केंद्र सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

योजना का दूसरा प्रमुख पहलू यह है कि विभिन्न तरह की भूमिकाओं और गतिविधियों में तेजी लाई जाये। ताड़ की खेती के लिये सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति हेक्टेयर १२ हजार रुपये दिये जाते थे, जिसे बढ़ाकर २९ हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इसके अलावा रख-रखाव और फसलों के दौरान भी सहायता में बढ़ोतरी की गई है। पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिये २५० रुपये प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है, यानी एक पौधा रोपने पर २५० रुपये मिलेंगे।

देश में पौधारोपण साजो-सामान की कमी को दूर करने के लिये, बीजों की पैदावार करने वाले बागों को सहायता दी जायेगी। इसके तहत भारत के अन्य स्थानों में १५ हेक्टेयर के लिये ८० लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जायेगी, जबकि पूर्वोत्तर तथा अंडमान क्षेत्रों में यह सहायता राशि १५ हेक्टेयर पर एक करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा शेष भारत में बीजों के बाग के लिये ४० लाख रुपये और पूर्वोत्तर तथा अंडमान क्षेत्रों के लिये ५० लाख रुपये तय किये गये हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता का भी प्रावधान है,जिसके तहत पहाड़ों पर सीढ़ीदार अर्धचंद्राकार में खेती, बायो-फेंसिग और जमीन को खेती योग्य बनाने के साथ एकीकृत किसानी के लिये बंदोबस्त किये गये हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान के लिये उद्योगों को पूंजी सहायता के संदर्भ में पांच मीट्रिक टन प्रति घंटे के हिसाब से पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी देखा जायेगा कि अमुक समय में कितना काम हुआ और उसके हिसाब से क्षमता बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस कदम से इन क्षेत्रों के प्रति उद्योग आकणषत होंगे।

# चीनी के निर्यात और इथेनाल में परिवर्तित करने को सुगम बनाने से गन्ना किसानों को राहत

भारत सरकार किसानों के गन्ना बकाये का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरप्लस चीनी के निर्यात और चीनी को इथेनाल में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से ज्यादा रहा है। सरकार मिलों को सरप्लस चीनी को इथेनाल में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और चीनी के निर्यात को सहज बनाने के लिए मिलों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया है जिससे उनकी लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार हो और उन्हें गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समयबद्ध भुगतान में सक्षम बनाया जा सके।

पिछले ३ सत्रों २०१७-१८, २०१८-१९ और २०१९-२० में, क्रमशः लगभग ६.२ लाख मीट्रिक टन (एलएमटी), ३८ एलएमटी और ५९.६० एलएमटी चीनी का निर्यात किया गया। वर्तमान चीनी सत्र २०२०-२१ (अक्टूबर-सितंबर) में सरकार चीनी के ६० एलएमटी निर्यात को सुगम बनाने के लिए ६,००० रुपये प्रति एमटी की दर से सहायता उपलब्ध करा रही है। ६० एलएमटी के निर्यात लक्ष्य की तुलना में, लगभग ७० एलएमटी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, चीनी मिलों से ६० एलएमटी से ज्यादा चीनी का उठान हो चुका है और १६.०८.२०२१ तक ५५ एलएमटी से ज्यादा का निर्यात हो चुका है। चीनी मिलों ने आगामी चीनी सत्र २०२१-२२ में निर्यात के लिए अग्रिम अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चीनी के निर्यात से मांग-आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने और चीनी की घरेलू एक्स-मिल कीमतों को स्थिर रखने में सहायता मिली है।

अतिरिक्त चीनी की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के क्रम में, सरकार मिलों को अतिरिक्त गन्ने से इथेनाल बनाने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इससे न सिर्फ हरित ईंधन का उद्देश्य पूरा होता है, बल्कि कच्चे तेल के आयात के मद में विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है साथ ही मिलों द्वारा इथेनाल की बिक्री से मिले राजस्व से चीनी मिलों को किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान में भी सहायता मिलती है। पिछले २ चीनी सत्रों २०१८-१९ और २०१९-२० में, लगभग ३.३७ एलएमटी और ९.२६ एलएमटी चीनी से एथेनाल बनाया गया है। वर्तमान चीनी सत्र २०२०-२१ में, २० एलएमटी से एथेनाल बनाए जाने का अनुमान है। आगामी चीनी सत्र २०२१-२२ में, लगभग ३५ एलएमटी चीनी को परिवर्तित किए जाने का अनुमान है और २०२४-२५ तक ६० एलएमटी चीनी को एथेनाल में परिवर्तित करने का अनुमान है, जिससे अतिरिक्त गन्ना/ चीनी के साथ ही देरी से भुगतान की समस्या का समाधान हो जाएगो। हालांकि, २०२४-२५ तक अतिरिक्त डिस्टिलेशन क्षमता जुड़ जाएगी, इसलिए चीनी का निर्यात अतिरिक्त २-३ साल तक जारी रहेगा पिछले ३ चीनी सत्रों में चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों ने तेल विपणन कंपनियों को इथेनाल की बिक्री से लगभग २२,००० करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। वर्तमान चीनी सत्र २०२०-२१ में, चीनी मिलों द्वारा ओएमसी को एथेन की बिक्री से लगभग १५,००० करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है, जिससे चीनी मिलों को किसानों को गन्ना बकाये का समय से भुगतान करने में सहायता मिली है। पिछले चीनी सत्र २०१९-२० में, लगभग ७५,८४५ करोड़ रुपये के देय गन्ना बकाये में से ७५,७०३ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और सिर्फ १४२ करोड़ रुपये का बकाया लंबित है। हालांकि, वर्तमान चीनी सत्र २०२०-२१ में, चीनी मिलों द्वारा लगभग ९०,८७२ करोड़ रुपये के गन्ने की खरीद की गई जो अभी तक का रिकार्ड है। इसमें से लगभग ८१,९६३ करोड़ रुपये के गन्ना बकाये का किसानों को भुगतान कर दिया गया और १६.०८.२०२१ को सिर्फ ८,९०९ करोड़ रुपये का गन्ना बकाया लंबित है। पिछले एक महीने में चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में खासी बढ़ोतरी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रा शुगर की मांग खासी ज्यादा है, इसे देखते हुए सीएएफएंडपीडी मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों के लिए परामर्श जारी किया है कि आगामी चीनी सत्र २०२१-२२ की शुरुआत से ही रा शुगर के उत्पादन की योजना बनाई जानी चाहिए और चीनी के ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य व वैश्विक कमी का फायदा लेने के लिए आयातकों के साथ अग्रिम अनुबंध करने चाहिए। चीनी का निर्यात और चीनी से इथेन ल बनाने वाली चीनी मिलों को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त मासिक घरेलू कोटा के रूप में प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

# ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की शुरूआत

*मंच ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान निष्कर्षों, नवोन्मेषण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के आदान प्रदान में तेजी लाएगा*

केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेषणों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। मंत्री खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए कृषि जैवविविधता को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिक्स साझीदारी थीम के तहत ब्रिक्सें कृषि मंत्रियों की ११वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में कार्यनीतिक सहयोग के जरिये टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने के द्वारा दुनिया में भूख, कुपोषण, गरीबी तथा असमानता के मुद्दों के समाधान में सहायता करेगा।

ब्रिक्स-एआरपी का प्रचालन ब्रिक्स सदस्य देशों में छोटे खेतिहर किसानों के लिए तथा सतत रूप से ऊपज बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकियों सहित कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नीति, नवोन्मेषणों और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग में तेजी लाने के लिए किया गया है।

यह मंच संबंधित ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान निष्कर्षों, नवोन्मेषण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के आदान प्रदान को और अधिक बढ़ायेगा।

ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का समन्वय केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/आईसीएआर के शासन के तहत पूसा के एनएएससी परिसर में स्थित है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का डोमेन नाम http:@barp.org है। १२-१३ अगस्त, २०२१ को आयोजित कार्य समूह बैठक में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने इस डोमेन नाम पर सहमति जताई।

ब्रिक्स देशों ने मंच के जरिये परस्पर बातचीत करने तथा समान प्रकार की समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए संयुक्त परियोजनाओं का विकास करने के लिए अपने फोकस बिन्दु भी नियुक्त किए हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत का फोकस संगठन है।

केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की ११वीं बैठक में आज वर्चुअल तरीके से भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि खाद्य सुरक्षा और पोषण तथा लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों के विकास पर ध्यान देने में कृषि जैवविविधता की मुख्य भूमिका है।

केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी,कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल,कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं आईसीएआर के डीजी डा त्रिलोचन महापात्रा ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

# ब्रिक्स देश भूख और गरीबी उन्मूलन के २०३० सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगेः नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की १९वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने 'खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि, कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी" विषय पर विचार-विमर्श किया। ब्रिक्स महत्वपूर्ण समूह है, जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, दुनिया की ४१ प्रतिशत आबादी की मेजबानी करता है, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में २४ प्रतिशत और विश्व व्यापार में १६ प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ब्रिक्स देश भुखमरी व गरीबी मिटाने के लिए वर्ष २०३० के सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की अच्छी स्थिति में हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाकर व किसानों की आय में वृद्धि करके, आय असमानता व खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को दूर किया जा सकता है।

बैठक के दौरान श्री तोमर ने खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए कृषि जैव विविधता विषय पर संबोधन में कहा कि कृषि जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत ने विभिन्न संबंधित ब्यूरो में पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों व कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की है और उनका रखरखाव कर रहा है। भारत दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, राष्ट्रीय बांस मिशन व हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय पाम आयल मिशन जैसे देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कृषि-खाद्य प्रणालियों के विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खेतों व थाली दोनों में विविधीकरण प्रदान करने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।

*भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष २०२३ को अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है व वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।*

श्री तोमर ने बताया कि भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष २०२३ को अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है व वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

श्री तोमर ने बताया कि भारत पोषक-अनाज के अनुसंधान, शिक्षण, नीति-निर्माण, व्यापार और खेती में क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो फसलों के इस समूह में उपलब्ध अद्भुत विविधता के संरक्षण के साथ-साथ किसानों को लाभान्वित करने में दीर्घकालीन उपाय होगा और यह दुनिया के कम पर्यावरणीय रूप से संपन्न क्षेत्र में केंद्रीत हैं।

श्री तोमर ने बताया कि कृषि अनुसंधान और नवाचारों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच तैयार किया गया है और आज से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है ।

बैठक में ब्रिक्स देशों में मजबूत कृषि अनुसंधान आधार व विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की स्थिति में ज्ञान का लाभ उठाने व साझा करने की जरूरत, उन्नत उत्पादकता के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से भूमि पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा, कृषि जैव विविधता बनाए रखने व प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने को मंजूरी दी गई।

मंत्रियों ने भारत द्वारा विकसित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को कार्यात्मक बनाने और उत्पादकों व प्रसंस्करणकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा अनुप्रयोग में सुधार के लिए अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करने के प्रति अपनी मंशा व्यक्त की।

ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच कृषि अनुसंधान, विस्तार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। ब्रिक्स देशों के बीच भावी सहयोग के लिए व्यापक फोकस क्षेत्रों को कवर करते हुए ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की इस बैठक की संयुक्त घोषणा व ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना २०२१-२४ और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को अपनाने का निर्णय लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर ब्रिक्स कृषि विशेषज्ञों और ब्रिक्स कृषि कार्यकारी समूह की बैठकों में इन दस्तावेजों पर व्यापक चर्चा की गई थी।

मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना २०२१-२४ को अपनाया गया। यह कार्य योजना ब्रिक्स देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान करती है और खाद्य सुरक्षा, किसानों के कल्याण, कृषि जैव विविधता के संरक्षण, खाद्य एवं कृषि उत्पादन प्रणालियों की अनुकूलता, डिजिटल कृषि समाधानों को बढ़ावा देने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो

कृषि क्षेत्र के सतत विकास के अभिन्न घटक हैं।

ब्रिक्स देशों के लिए खाद्य सुरक्षा व पोषण हेतु कृषि जैव विविधता के ध्येय को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की क्षमता को देखते हुए,ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना २०२१-२०२४ में फोकस क्षेत्र के रूप में 'पोषण और सततता के लिए कृषि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन' को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

बैठक में श्री तोमर के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. त्रिलोचन महापात्र,कृषि मंत्रालय के अपर सचिव अभिलक्ष लिखी व संयुक्त सचिव सुश्री अलकनंदा दयाल सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

# परिसंपत्तियों से ६ लाख करोड़ रुपये मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान

## वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया

*पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है जो केंद्रीय बजट २०२१-२२ के तहत 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण' से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। एनएमपी के तहत वित्तीय वर्ष २०२२ से लेकर वित्तीय वर्ष २०२५ तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के जरिए ६.० लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है।*

केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी खंड १ और २)' का शुभारंभ किया जो केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है जो केंद्रीय बजट २०२१-२२ के तहत 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण' से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। एनएमपी के तहत वित्तीय वर्ष २०२२ से लेकर वित्तीय वर्ष २०२५ तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के जरिए ६.० लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

एनएमपी पर रिपोर्ट के खंड १ और २ को उपाध्यक्ष (नीति आयोग), सीईओ (नीति आयोग) और पाइपलाइन के तहत शामिल अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों यथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन व प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, पोत परिवहन, पत्तन एवं जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और सचिव (निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की उपस्थिति में जारी किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने पाइपलाइन का शुभारंभ करते हुए कहा, 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री के विजन से ही सटीक स्वरूप ले पाया है, जो सदैव भारत के समस्त आम नागरिकों के लिए बेहतरीन और किफायती बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच में विश्वास करते हैं। मुद्रीकरण के माध्यम से सृजन के दर्शन पर आधारित परिसंपत्ति मुद्रीकरण का उद्देश्य नई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं या अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का उपयोग करना है। यह रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जिससे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ समग्र जन कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना भी संभव हो सकेगा।'

श्रीमती सीतारमण ने वर्तमान सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के त्वरित विकास और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किए गए समस्त सुधारों और पहलों के बारे में भी बताया। इसमें हाल ही में शुरू की गई 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' शामिल है, जिसके तहत राज्य सरकारों को नई या पहले से अविकसित (ग्रीनफील्ड) अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का दोबारा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इस पाइपलाइन के शुभारंभ के दौरान कहा, 'इस कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा (ब्राउनफील्ड) परिसंपत्तियों में निहित निवेश के मूल्य को हासिल करना है, जिसे आगे सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इस तरह से निवेश के मूल्य को हासिल करने के तौर-तरीकों पर विशेष जोर दिया, जिसे निजीकरण या औने-पौने मूल्यों पर परिसंपत्तियों को बेचने के बजाय व्यवस्थित अनुबंधात्मक साझेदारी के जरिए प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।'

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की परिकल्पना बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रीकरण के लिए तैयार संभावित परियोजनाओं की पहचान के लिए एक मध्यम अवधि वाले एक रोडमैप के रूप में की गई है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, 'एनएमपी का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए किसी पहल के प्रदर्शन की निगरानी करने और निवेशकों के लिए उनकी भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण को सिर्फ एक वित्तपोषण से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे निजी क्षेत्र की संसाधन क्षमता और उभरती वैश्विक एवं आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को गतिशील रूप से अनुकूलित करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के संचालन, उन्नयन और रख-रखाव में समग्र बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे नए मंडल न केवल वित्तीय और रणनीतिक निवेशकों को बल्कि आम लोगों को भी इस परिसंपत्ति वर्ग में भाग लेने में सक्षम बनाएंगे जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इसलिए मैं एनएमपी के दस्तावेज़ को भारत के बुनियादी ढांचे को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूं।'

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) दरअसल नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों के माध्यम से संचित की गई अंतर्दृष्टि, प्रतिक्रिया और अनुभवों का चरमबिन्दु है। नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक में इस पाइपलाइन के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। इसलिए यह पूरी तरह से एक सरकारी पहल है।

बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी मंत्रालयों के सचिवों ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करते हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निर्धारित अपने - अपने लक्ष्यों को हासिल करने के संकल्प को दोहराया है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के एक अंग के रूप में, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित सचिवों के एक अधिकार प्राप्त कोर ग्रुप (सीजीएएम) का गठन किया गया है। सरकार परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम को बुनियादी ढांचे की बेहतर गुणवत्ता और संचालन एवं रख-रखाव के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निवेशकों/डेवलपर्स, दोनों के लिए मूल्यवर्धन करने वाला एक साधन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य 'सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे के माध्यम से आम नागरिकों की समावेशिता और सशक्तिकरण' के व्यापक और दीर्घकालिक सपने को पूरा करना है।

**राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनः एक परिचय**

केंद्रीय बजट २०२१-२२ में स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्तपोषण के लिए वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पहचान एक प्रमुख साधन के रूप में की गयी है। इसके लिए बजट में ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के सन्दर्भ में 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)' तैयार करने का प्रावधान किया गया है। नीति आयोग ने अवसंरचना से जुड़े मंत्रालयों के परामर्श से एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की है।

एनएमपी का उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्ति के मालिकों के लिए इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में एक मध्यम-अवधि रोडमैप प्रदान करना है इसके साथ ही निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए उनकी वर्तमान स्थिति तथा संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी है। एनएमपी पर रिपोर्ट को दो खंडों में बांटा गया है। खंड-एक मार्गदर्शन पुस्तिका के रूप में है, जिसमें परिसंपत्ति मुद्रीकरण के वैचारिक दृष्टिकोण और संभावित माडल का विवरण दिया गया है। खंड-२ में मुद्रीकरण के लिए वास्तविक रोडमैप दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के तहत मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियों की पाइपलाइन शामिल है।

**ढांचा**

पाइपलाइन को संबंधित मंत्रालयों और विभागों से इनपुट और परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है, साथ ही उपलब्ध कुल परिसंपत्ति का आकलन भी किया गया है। विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को एनएमपी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अवसंरचना से जुड़े केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) की परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। अभी राज्यों की परिसंपत्तियों के समन्वय और आकलन की प्रक्रिया चल रही है और इन्हें उचित समय पर शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

**प्रमुख परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए तीन प्रमुख शर्तें हैं।**

इसमें जोखिम-रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों, जिनके पास आय के स्थाई स्रोत हैं और कारोबार राजस्व अधिकारों पर निर्भर है, का चयन शामिल है। इसलिए, इन संरचनाओं के तहत परिसंपत्तियों का प्राथमिक स्वामित्व सरकार के पास बना रहता है तथा इसमें कारोबार समाप्ति के समय परिसंपत्तियों को सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस सौंपने की परिकल्पना की गई है।

**अनुमानित क्षमता**

अवसंरचना का निर्माण मुद्रीकरण से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है इसे ध्यान में रखते हुए एनएमपी के लिए समय तय किया गया है जिससे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के अंतर्गत शेष अवधि साथ-साथ समाप्त हो जाए।

चार साल की अवधि यानी वित्त वर्ष २०२२-२५ के दौरान एनएमपी के अंतर्गत कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य ६.० लाख करोड़ रुपये है। यह अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा एनआईपी के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय (४३ लाख करोड़ रुपये) का १४ प्रतिशत है। इसमें १२ से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और २२ से ज्यादा संपत्ति श्रेणियां शामिल हैं। सेक्टरों में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयरहाउसिंग, गैस और उत्पाद पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हास्पिटैलिटी और आवास शामिल हैं।

वित्त वर्ष २०२२-२५ के लिए क्षेत्र-वार मुद्रीकरण पाइपलाइन (करोड़ रुपये में)

शीर्ष ५ सेक्टरों (अनुमानित मूल्य के आधार पर) की कुल पाइपलाइन मूल्य में ८३ प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन शीर्ष ५ सेक्टरों में शामिल हैं : सड़क (२७ प्रतिशत), रेलवे (२५ प्रतिशत), बिजली (१५ प्रतिशत), तेल एवं गैस पाइपलाइन (८ प्रतिशत) और दूरसंचार (६ प्रतिशत)।

मूल्य के आधार पर वार्षिक चरण के संदर्भ में, ०.८८ लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली १५ प्रतिशत संपत्तियों के लिए वर्तमान वित्त वर्ष (वित्तवर्ष २०२१-२२) में इसे लागू करने की कल्पना की गई है। हालांकि, एनएमपी के अंतर्गत सकल के साथ ही वर्ष वार मूल्य समय, लेनदेन के स्वरूप,निवेशकों की दिलचस्पी आदि के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों के लिए वास्तविक प्राप्ति के साथ एक अनुमानित मूल्य है।

वर्ष वार मुद्रीकरण पाइपलाइन का अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपये में)

एनएमपी के अंतर्गत चिह्नित संपत्तियां और लेनदेन कई साधनों के माध्यम से कार्यान्वित होने का अनुमान है। इनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी छूट जैसे प्रत्यक्ष अनुबंधित साधन और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्विट) जैसे पूंजी बाजार साधन आदि शामिल हैं। साधन का चयन सेक्टर, संपत्ति की प्रगति, लेनदेन के समय (बाजार स्थितियों सहित), लक्षित निवेशक विवरण और परिचालन के स्तर/संपत्ति के स्वामी द्वारा रखे जाने वाले निवेश नियंत्रण आदि के द्वारा तय किया जाएगा। संपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति के स्वामी को अनुमानित रूप से मिलने वाला मूल्य, या तो अग्रिम स्रोत के रूप में हो सकता है या निजी क्षेत्र निवेश के रूप में मिल सकता है।

एनएमपी के अंतर्गत तय संभावित मूल्य सामान्य नियमों पर आधारित सिर्फ एक उच्च स्तरीय अनुमान है। कार्यान्वयन और निगरानी व्यवस्था समग्र रणनीति के रूप में, संपत्ति आधार का बड़ा हिस्सा सरकार के पास रहेगा।

# पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए १.४२ लाख करोड

## १५वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष २०२१-२२ से २०२५-२६ के लिये अनुदान

नई दिल्ली। १५वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पांच वर्षों २०२१-२२ से २०२५-२६ तक ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए १,४२,०८४ करोड़ रुपये का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। १५वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा ग्राम पंचायतें 'सेवा वितरण' पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय 'सार्वजनिक सेवाओं' के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। यह भारत के संविधान में ७३वें संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने वर्ष २०२१-२२ से २०२५-२६ की अवधि के दौरान आरएलबी/पीआरआई के लिए १५वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करने और उपयोग करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) 'साफ जल और स्वच्छता के लिए १५वें एफसी सशर्त अनुदान' के वास्ते ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और सभी राज्यों में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को पानी और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान को जारी करने की सिफारिश करेगा।

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने २५ राज्यों को जल एवं स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के लिए सशर्त अनुदान की पहली किस्त जारी करने तथा आरएलबी / पीआरआई को आगे हस्तांतरण करने की सिफारिश की है। भारत सरकार द्वारा ५० हजार करोड़ रुपये की बजटीय सहायता, जल जीवन मिशन के लिए राज्यों के हिस्से से ३० हजार करोड़ और इस वर्ष साफ जल एवं स्वच्छता के वास्ते १५वें सशर्त अनुदान के तहत २८ हजार करोड़ रुपये के आवंटन से एक लाख करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान गांवों में पाइप से जलापूर्ति करने के लिए किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा।

१५वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आरएलबी/पंचायतों को उनके कार्यों को पूरा करने में मदद करने और सक्षम बनाने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता/ग्रामीण जल आपूर्ति/सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग इन पंचायतों/आरएलबी को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। आरएलबी/पंचायतों के कार्यों को सरल बनाने और उनकी मदद करने के वास्ते जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इन निधियों के उपयोग के लिए एक मैनुअल तैयार किया है और इसे सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि इस पुस्तिका का स्थानीय भाषा में अनुवाद कर प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाए। गांवों में नल से पानी की आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के कार्य में इस फंड का उपयोग करने के लिए पंचायत पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने, प्रशिक्षित करने तथा सशक्त बनाने का बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाना है।

**अनुदान का वर्षवार आवंटन**
(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | अनुदान |
|---|---|
| २०२१-२२ | २६,९४० |
| २०२२-२३ | २७,६०८ |
| २०२३-२४ | २८,२१२ |
| २०२४-२५ | २९,८८० |
| २०२५-२६ | २९,१४४ |
| **कुल** | **१,४२,०८४** |

**प्रत्येक घर में नल से जल की सुनिश्चित आपूर्ति और गांवों में बेहतर स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायतों को स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में कार्य करने पर जोर**

कुल मिलाकर १५वें वित्त आयोग ने २०२१-२२ से २०२५-२६ की अवधि के लिए आरएलबी/पीआरआई को २,३६,८०५ करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। आयोग ने राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में 'जल आपूर्णत और स्वच्छता' संबंधी पहचान की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसने आरएलबी/पंचायतों को आवंटन का ६० प्रतिशत अर्थात १,४२, ०८४ करोड़ रुपये के सशर्त अनुदान की सिफारिश की है, जिसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाना है- (अ) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और (ब) खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण यानी हर घर में पीने योग्य पानी की नल से आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन दो बुनियादी सेवाओं को सुनिश्चित करने के वास्ते राज्यों के साथ साझेदारी में काम कर रही है। नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल की घरेलू स्तर पर निर्धारित गुणवत्ता में सुनिश्चित उपलब्धता, और बेहतर स्वच्छता तथा आरोग्यता का सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा लोगों की बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए १५वें वित्त आयोग द्वारा गांवों में बुनियादी जल और स्वच्छता सेवाओं पर इतनी बड़ी राशि निर्धारित करना गांवों में नल के पानी की आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने की तरफ एक बड़ा कदम है।

अगस्त २०१६ से जल जीवन मिशन (जेजेएम) ३.६० लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यरत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 'कोई भी छूट न जाए'। यह परिवर्तनकारी मिशन हर ग्रामीण परिवार को सस्ती सेवा वितरण शुल्क पर नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और गांवों में रहने वाले लोगों के 'जीवन की सरलता' में वृद्धि होगी। पिछले सात वर्षों के दौरान, हमारे गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनने में सक्षम बनाने के लिए बड़े प्रयास और निवेश किए गए हैं, और इन प्रयासों को बनाए रखने में ही, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) चरण- देश में ओडीएफ प्लस गांवों का दर्जा हासिल करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त गांवों और गांवों की ओडीएफ स्थिति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गांवों में स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सेवाओं का प्रावधान करने के साथ-साथ जल जनित बीमारियों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले गंदे पानी के प्रबंधन में १५वां एफसी सशर्त अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित होगा।

पानी और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान के प्रभावी उपयोग के वास्ते राज्यों को नोडल विभागों की पहचान करने और १५वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के लोगों के लिए सशर्त अनुदानों के विभिन्न पहलुओं, इसके विमोचन और उपयोग, योजना और निष्पादन कार्य, लेखा परीक्षा और लेखा प्रबंधन आदि पर व्यापक प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किये जाने की जरुरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग ने प्रमुख संसाधन केंद्रों (केआरसी) के रूप में ८४ प्रतिष्ठित संस्थानों का चयन किया है तथा सुनिश्चित जलापूर्ति, बेहतर स्वच्छता और देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में आरएलबी/ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए चुना है।

गांवों में लंबे समय तक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं पर आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप अवधि तथा सुनिश्चित सेवा वितरण में परिवारों से सेवा शुल्क वसूल करने के वास्ते राज्यों में एक मजबूत 'संचालन और रखरखाव' नीति बनाने पर जोर दिया गया है।यह महत्वपूर्ण है कि गांवों में बनाई गई जलापूर्ति योजनाएं और स्वच्छता सुविधाएं दीर्घकालिक आधार पर चलती रहें और ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति इसका प्रबंधन करती रहें। संविधान के ७३वें संशोधन के अनुसार, ग्राम पंचायतों को गांवों में इन दो बुनियादी सेवाओं का प्रबंधन करने का अधिकार है, जिन्हें पंचायतों के मुख्य कार्यों में से एक माना जाता है। इस सशर्त अनुदान ने ग्राम पंचायतों को गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन को फिर से परिभाषित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है।

आधारभूत दृष्टिकोण को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति एक 'स्थानीय सार्वजनिक उपयोगिता' के रूप में कार्य करती हैं और यह योजना बना सकती हैं, अनुमोदन कर सकती हैं, लागू कर सकती हैं, ये केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण के बजाय सेवा वितरण पर ध्यान देने के साथ-साथ नियमित और दीर्घकालिक आधार पर गांव में जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव कर सकती हैं। ग्राम पंचायतों या उनकी उप-समितियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जलापूर्ति योजनाओं का संचालन और रखरखाव ठीक से किया जाता है, और उनकी पूर्ण डिजाइन अवधि, यानी ये अगले ३० वर्षों तक चलती हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि गांवों में ओडीएफ स्थिरता तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छता पर किए गए निवेश का दीर्घकालिक आधार पर उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक गांव को १५वें वित्त आयोग की अवधि के साथ ५ वर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें पेयजल स्रोत को मजबूत करना, जल आपूर्ति, दूषित जल का प्रबंधन और इसका पुनः उपयोग, संचालन तथा रखरखाव, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि के महत्वपूर्ण घटक भी शामिल हैं। इन ग्राम कार्य योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा।पानी और स्वच्छता के लिए १५वें वित्त आयोग के अनुदान का मुख्य उद्देश्य आरएलबी / ग्राम पंचायतों को हर घर, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं, पीएचसी / सीएचसी, सामुदायिक केंद्रों, बाजारों और खेल के मैदानों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाना है।

दीर्घकालिक और नियमित आधार पर दूषित जल का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में खुले में शौच मुक्त स्थिति और बेहतर स्वच्छता बनाए रखना भी इसमें शामिल है। अपेक्षित परिणामों के साथ मूर्त परिणाम प्राप्त करने के लिए १५वां एफसी सशर्त अनुदान जल जनित रोगों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, कठिन परिश्रम से बचाव आदि में बेहद फायदेमंद होगा।

# युग पुरुष कल्याण सिंह

**सर्वेश कुमार सिंह**

अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे रखी भगवान श्रीराम की मूर्तियों को कोई ताकत हटा नहीं सकती है, तो फिर वहां मस्जिद के ढांचे की क्या आवश्यकता है? हम इस ढांचे को यहां से हटा देना चाहते हैं। दृढ़ता और संकल्प की शक्ति के साथ यह बात कहने का अदम्य साहस कल्याण सिंह में ही था। वह भी तब जब वे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। कल्याण सिंह ने यह बात राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार स्व. दिलीप अवस्थी से सितंबर १९९१ में कही थी। जो समय देश की जानी मानी पत्रिका के राज्य में विशेष संवाददाता थे। उनके यह संकल्प व्यक्त करने के एक साल बाद ही छह दिसम्बर १९९२ को वह विवादित ढांचा वहां से हटा दिया गया था। इसका मतलब साफ है कि कल्याण सिंह ने गर्भगृह पर ही श्रीराम मन्दिर निर्माण के लिए परिकल्पना कर ली थी। सफल राजनेता, सफल मुख्यमंत्री, सफल विधायक, सफल पार्टी कार्यकर्ता, सफल शिक्षक और सफल स्वयंसेवक के रूप में ८९ साल की जीवन यात्रा पूरी करने के बाद २१ अगस्त २०२१ को अनन्त यात्रा पर जाने वाले कल्याण सिंह को युग पुरुष के रूप में याद किया जाएगा।

*कल्याण सिंह जिस व्यक्तित्व का नाम है, उसने कभी पीछे मुडकर नहीं देखा। जो तय कर लिया, उसे निभाया और अंत तक निभाया कभी नफा - नुकसान नहीं सोचा। उनके व्यक्तित्व में एक जन्मजात दृढ़ता थी। जिसने उन्हें सफल प्रशासक तो बनाया ही, सफल राजनीतिज्ञ भी साबित किया। अपनी दृढ़ता और सिद्धान्तों पर अडिगता के चलते ही वे भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व से टकरा गए थे।*

**व्यक्तित्व में जन्मजात दृढ़ता**

कल्याण सिंह जिस व्यक्तित्व का नाम है, उसने कभी पीछे मुडकर नहीं देखा। जो तय कर लिया, उसे निभाया और अंत तक निभाया कभी नफा - नुकसान नहीं सोचा। उनके व्यक्तित्व में एक जन्मजात दृढ़ता थी। जिसने उन्हें सफल प्रशासक तो बनाया ही, सफल राजनीतिज्ञ भी साबित किया। अपनी दृढ़ता और सिद्धान्तों पर अडिगता के चलते ही वे भारतीय जनता पार्टॅ के केन्द्रीय नेतृत्व से टकरा गए थे। झुके नहल,पाटएं छोड़ी, बगावत की। लेकिन, हमेशा अपनी आत्मा को भाजपा के भीतर ही पाया। इसी का परिणाम था कि दो बार १९९६ और २००६ में पाटॅए से अलग होने के बाद पुनः पुनः लौटते रहे। और अंत में २०१४ में जब लौटे तो फिर कभी

भाजपा से दूर नहीं हुए। पार्टी से दूर होने पर भी उन्होंने हमेशा यही इच्छा व्यक्त की कि इस पार्टी में प्राण बसते हैं, मेरी अंतिम इच्छा है कि भाजपा के झण्डे में लिपटकर ही अंतिम यात्रा पूरी हो।

**प्रारम्भिक जीवनः संघ प्रवेश**

कल्याण सिंह का प्रारम्भिक जीवन बेहद सामान्य परिवार से प्रारम्भ हुआ। उनका जन्म अलीगढ़ जनपद के अतरौली क्षेत्र में मढौली गांव में पांच जनवरी १९३२ को हुआ था। पिता का नाम तेजपाल लोधी और माता का नाम सीता देवी था। वे किसान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता छोटे काश्तकार थे। शिक्षा के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र प्रचारक स्व. ओमप्रकाश जी ने स्वयंसेवक बनाया था। ओमप्रकाश जी उस समय अतरौली तहसील में तहसील प्रचारक थे। बाद में उन्हें अतरौली का तहसील कार्यवाह बनाया गया था। वे अंत तक ओमप्रकाश जी को अपना आदर्श मानते रहे। भाजपा से दूरी होने के बाद भी वे ओमप्रकाश जी के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव रखते थे। कल्याण सिंह ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। वे अतरौली के समीप ही स्थित रायपुर में एक जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक रहे।

**राजनैतिक यात्राः वि ाायक से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक**

संघ की योजना से उन्हें तत्कालीन जनसंघ में काम के लिए भेजा गया । उन्होंने पहला चुनाव जनसंघ के टिकट पर १९६२ में लड़ा, लेकिन वह यह चुनाव हार गए। इसके बाद वह १९६७ में फिर अतरौली से जनसंघ के ही टिकट पर चुनाव लड़े। इस बार वह जीत गए। इसके बाद उन्हों ने १९६९,१९७४,१९७७ के चुनाव जीते। लेकिन, वे १९८० का विधान सभा हार गए। उन्हें लोकदल प्रत्याशी अनवार अहमद ने हराया। फिर १९८५, १९८९,१९९१,१९९३ और १९९६, २००२ में चुनाव जीते। इस प्रकार कल्याण सिंह कुल दस बार विधायक रहे। दो बार विधान सभा का चुनाव हारे। जबकि दो बार सांसद रहे। एक बार २००४ में बुलन्दशहर से और २००९ में एटा से उन्होंने चुनाव जीता। दोनों चुनाव उन्होंने निर्दलीय किन्तु सपा के समर्थन से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे कल्याण सिंह को २०१४ में पुनः पार्टी मे वापस लिया गया और उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। इसके साथ ही वे कुछ महीनों के लिए हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे।

**भाजपा से बगावत और केन्द्रीय नेतृत्व से टकराव**

कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में १९९९ में हुए सत्ता परिवर्तन से रुष्ट होकर भाजपा छोड़ दी थी। उन्हें हटाकर रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। किन्तु वह नाराज हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली थी। इस पार्टी से उन्होंने २००२ के विधान सभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिये। इसका परिणाम हुआ कि भाजपा को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ। माना गया कि कल्याण सिंह के लोध और पिछड़े वोट बैंक के

कारण भाजपा लगभग ७० सीटों पर चुनाव हारी। यहीं से भाजपा को कल्याण सिंह की राजनीतिक शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद ही उन्हें वापस लाने के प्रयास होने लगे थे। वे २००४ में वापस लौट भी आए, किन्तु फिर बात बिगड़ गई और २००९ में दोबारा बगावत कर दी। लेकिन, पांच साल में ही फिर वापस लौटे।

**मन्दिर आंदोलन ने बनाया हिन्दू हृदय सम्राट**

श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में कल्याण सिंह को इतिहास याद रखेगा। उन्हें युगपुरुष और हिन्दू हृदय सम्राट की उपाधि मन्दिर के लिए सरकार को न्यौछावर कर देने के बाद ही मिली। ढांचा ढहाये जाने पर उन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाने से इनकार कर दिया था। अफसरों को भी कह दिया था कि एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। छह दिसंबर १९९२ को अयोध्या मे विवादित ढांचा ढहाये जाने के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को बुलाकर इस्तीफा देने से पहले कहा था कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, जहां चाहो हस्ताक्षर करा लो ताकि बाद में किसी अधिकारी पर कोई आंच न आये। विवादित ढांचा ढहाये जाने के मुकदमे में कल्याण सिंह अकेले ऐसे नेता हैं, जिन्हें एक दिन की सजा हुई थी।

*कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में १९९९ में हुए सत्ता परिवर्तन से रुष्ट होकर भाजपा छोड़ दी थी। उन्हें हटाकर रामप्रकाश* गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। किन्तु वह नाराज हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली थी। इस पार्टी से उन्होंने २००२ के विधान सभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिये। इसका परिणाम हुआ कि भाजपा को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ।

पार्टी के पिछड़ा वर्ग के सशक्त नेता भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूर्ववत पार्टी जनसंघ को सवर्णों की पार्टी माना जाता था। लेकिन, १९८० के दशक के बाद कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा से यह पहचान हटी। भाजपा में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढा और कल्याण सिंह स्वयं पिछड़े वर्ग के सशक्त नेता के रूप में उभरे। मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जब पिछड़ों की राजनीति का उभार हो रहा था। उस समय देश के प्रमुख पिछड़े नेताओं के मुकाबले कल्याण सिंह का कद हमेशा ऊंचा रहा। उन्होंने भाजपा में पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए भी नेतृत्व के सामने स्पष्ट रूप से मांगें रखीं और उन्हें पूरा कराया। वे जिस जाति लोध राजपूत से आते थे, उसका मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम में प्रभाव है। तीन दर्जन से अधिक सीटों पर यह जाति निर्णायक मानी जाती है। कल्याण सिंह के नेतृत्व के कारण ही यह जाति भाजपा से जुड़ी हुई है। पिछड़ों के मुद्दे उठाने में भी वे कभी पीछे नहीं रहे। जहां अन्य पिछडे नेताओं की पहचान मात्र उनकी अपनी जाति तक सीमित रही, वहीं कल्याण सिंह ने सभी पिछड़ों का दिल जीता था।

**कठोर प्रशासकः अनुशासनप्रिय**

कल्याण सिंह कठोर प्रशासक साबित हुए। पहली बार उन्हें जनता पार्टी के समय रामनरेश यादव की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने का अवसर मिला था। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ही उन्होंने कठोर प्रशासक की पहचान बना ली थी। चिकित्सकों के तबादलों में उन्होंने कोई सिफारिश नहीं मानी थी। दशकों से एक ही जगह जमें अनेक चिकित्सकों के तबादले करके उन्होंने कठोर प्रशासन और सुशासन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया था। अनेक नामी अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए थे। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ था। परीक्षाओं में नकल रोकने का कानून उनके समय ही बनाया गया था।

**नहीं मानी थी नेतृत्व की सलाह**

कल्याण सिंह ने अपने जीवन में कभी झुककर समझौता नहीं किया। यही कारण था कि जब १९९९ में वह निर्णायक मोड़ आया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया था। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली आने को कहा था। उन्हें केन्द्र सरकार में जगह देने का प्रस्ताव किया गया था। माना जाता है कि उन्हें सीधे केन्द्रीय गृहमंत्री बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन, उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और पार्टी छोड़ दी।

*यदि कल्याण सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया होता तो वे देश में भाजपा चेहरे के रूप में उभरते और केन्द्रीय नेतृत्व करते। लेकिन, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने को अपना अपमान माना था और कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया था।*

हालांकि भाजपा ने सभी कटुताओं को भुलाकर कल्याण सिंह को अंतिम वर्षों में यथोचित सम्मान दिया और उनके परिवार के सदस्यों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। उनके बेटे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया जबकि उनके पोते को विधायक बनाया और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमण्डल में सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में जगह प्रदान करके परिवार का सम्मान बरकरार रखा है। सम्पूर्ण जीवन राजनीति और सिद्धान्तों को समर्पित करने वाले कल्याण सिंह को शत्-शत् नमन। ( **उप्रससे** )

# सितंबर माह के कृषि कार्य

**धान**

धान में यदि नत्रजन की तीसरी किस्त नहीं दी है तो यूरिया खेत में शाम के समय बिखेर दें। धान में जल प्रबंध ठीक रखें तथा दो ईंच से अधिक गहरा पानी न दें । सिंचाई के पानी की भी समय-समय पर जांच करवाते रहें। सितम्बर में पत्ता लपेट सूण्डी, टिड्डे तथा तनाछेदक का आक्रमण होने की संभावना रहती है। धान में ब्लास्ट (वदरा) रोग में पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते है।

यह रोग फसल के फुटाव के समय आता है। वालियों पर काले धब्बे बना देता है तथा दाने अच्छे नहीं बनते है। रोकथाम के लिए २०० ग्राम कार्वेण्डाजिम या हिप्नोसाकन या १२० ग्राम वीम २०० लीटर में मिलाकर प्रति एकड छिडकें।

**मक्का**

मई व जून में बोया मक्का में भुट्टे पकने लग गये हैं तथा खडी फसल में भुट्टे तोडकर सुखा लें तांकि दानें में १७ प्रतिशत तक नमी कम हो जाये । तनों को पशुओं को हरे चारे के लिए प्रयोग करें। देर से बोई मक्का में सितम्बर में तना छेदक की सुण्डियां तनों में सुराख कर पैदावार कम कर देती है।

**गन्ना**

बसंतकालीन तथा मोटी फसल को गिरने से बचाने के लिए बंधाई पूरी कर लें। सितम्बर में गुरदासपुर बेधक, तराई बेधक तथा जडबेधक पायरिल्ला, सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है। रत्ता रोग लगने की स्थिति में, गन्ना बीच से लाल हो जाता है तथा शराब की बू आने लगती है। ऐसी फसल को जल्दी काट लें तथा मोढी न ले व एक वर्ष उस खेत में गन्ना न लगायें। शरदकालीन फसल बीजने का समय सितम्बर के आखिर से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक है।

**बाजरा**

बाजरा सितम्बर में पकने की स्थिति में होता है तथा खेत में वर्षा का पानी ठहरना नहीं चाहिए ।

**दलहनी फसल**

मंग, उडद तथा लोबिया - सभी फसलें पकने की अवस्था में रहती है तथा पत्ते पीले पडते ही काट लें तांकि फलियां झडें नहीं । अरहर व सोयाबीन - फसल दाने बनने की अवस्था में हो तो एक हल्की आखिरी सिंचाई कर दें। राजमा - मैदानों के उत्तरी क्षेत्रों में राजमा उगाने में किसानों में रूचि दिखाई है । इस फसल को सिंचित क्षेत्रों में १० सितम्बर तक लगा दें नहीं तो पकने के समय ठण्ड पडने से दाने कम बनते है। राजमा की किस्में हिम-१, उवाला तथा वी.एल. ६३ की ४७ कि.ग्रा. बीज प्रति एकड राईजोवियम वायो-फटिंलाइजर से उपचारित करें तथा १ फुट दूर लाईनों में बीजें। बीजाई के समय आधा बोरा यूरिया तथा आधा बोरा सिंगल सुपर फासफेट खेत में बीज के नीचे पोरा या केरा से डालें। पहली सिंचाई बीजाई १७ दिन तथा दूसरी ३० दिन बाद करें । बीजाई के २० दिन बाद एक निराई-गोडाई भी करें ।

**मूंगफली** - फूल आने पर सिंचाई जरूर दें। जमीन गीली होने पर फलों से निकली सूई जिससे मुंगफली बनती है आसानी से जमीन में चली जाती है। कीड़ों तथा बीमारियों पर नजर रखें।

**तिल** - फसल काटने में देरी से तिल के दाने झड जाते हैं। सितम्बर में जब पोधे पीले पडने लगे तो फसल काटकर बंडल बांधकर सीधा रखें। बंडलों को सुखाकर दो बार झाडें तांकि सारे दाने बाहर आ जायें।

**सरसों, तोरिया, राया व तारामीरा** - फसलें अधिकतर बारानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। तोरिया व सरसों हल्की से भारी दोमट मिट्टी में तथा २७ - ४० से.मी.वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी होती है। तोरिया की बीजाई १७ सितम्बर तक, सरसों की २७ सितम्बर से १० अक्टूबर तक, राया की ३० सितम्बर से १० अक्टूबर तक तथा तारामीरा की सारे अक्टूबर तक की जाती है। यदि तोरिया के

बाद गेंहू बोनी हो तो तोरिया सितम्बर के पहले सप्ताह तक अवश्य लगा दें। बीज रोगरहित व प्रमाणित स्त्रोत से लें । उन्नत किस्में में, सरसों की - पूसा वोल्ड, वरूणा, सोरम, लक्ष्मी, क्रांति, कृष्णा तोरिया की - संगम, टी.एल-१५ , टी,एच- ६८ , पी वी टी-३७ , टीएल-१५ तारामीरा की - टी-२७ , भूरी सरसों हरियाणा-१, टी एम एल सी-२ राया की - राया प्रकाश, आर एच- ३०, पी.वी.आर ६७ व ६१, आर एल ७१ , गोभी सरसों - पी जी एस आर- ७१, जी एस एल १ व २ , अफ्रीकन सरसों - पीसी- ७, सरसों व तोरिया को २ फुट फासले पर २ ईंच गहरा बोयें तथा पोधों में ४ - ६ ईंच दूरी बनाये रखने के लिए ३ सप्ताह बाद छटाई करें। सिंचित खेतों में प्रति एकड तोरिया व सरसों को आधा बोरा यूरिया, २ बोरा सिंगल सुपर फासफेट तथा १/३ बोरा म्यूरेट आफ पोटास बीजाई के समय तथा आधा बोरा यूरिया पहली सिंचाई के समय दें। राया में ३/४ बोरा यूरिया, १ बोरा सिंगल सुपर फासफेट तथा आधा बोरा म्यूरेट आफ पोटास बीजाई पर तथा ३/ ४ बोरा यूरिया पहली सिंचाई पर दें। गोभी सरसों व अफ्रीकन सरसों में १ बोरा यूरिया तथा१.७ बोरे सिंगल सुपर फासफेट बीजाई पर दें। बांकी १ बोरा यूरिया पहली ऋसचाई पर दें। तारामीरा में १/४ बोरा यूरिया, १/२ बोरा सिंगल सुपर फासफेट तथा ७ कि.ग्रा. म्यूरेट आफ पोटास बीजाई पर ही दे दें। असिंचित क्षेत्रों में खाद की मात्रा आधी कर दें तथा सारी बीजाई पर ही डाल दें । सिंगल सुपरफासफेट के प्रयोग से तिलहन फसलों में गंधक की कमी पूरी हो जाती है । जिंक सल्फेट १० कि.ग्रा.प्रति एकड तथा २ कि. ग्रा.बोरेक्स (बोरान) बीजाई पर डालने से फसल अच्छी रहती है । सडीगली ७ टन गोबर की खाद तथा अजोटोबैकटर बायोफर्टीलाइजर का २७० ग्राम का एक पैकेट डालने से भी पैदावार में बढ़ोतरी होती है तथा उर्वरकों की मात्रा कम की जा सकती है। फूल आने पर सिंचाई देने से पैदावार ज्यादा होती है। तोरिया में एक गोडाई सप्ताह बाद तथा सरसों व राया में दो गोडाईयां लाभदायक होती है।

**बरसीम चारा**

चारे के लिए सर्वोत्तम फसल है जोकि नवम्बर से मई तक चारे की कई कटाईयां देती है। बीजाई का उचित समय सितम्बर के आखिर सप्ताह से अक्टूबर से पहले सप्ताह तक है। उन्नत किस्मों में वीएल-१ व वीएल-१० तथा मैस्कावी है। बरसीम के १० कि.ग्रा.रोगरहित बीज को १ प्रतिशत नमक के घोल में डालकर तैरते हुए बीज फेंक दें तथा नीचे बैठे बीजों को साफ पानी में धोकर फिर राईजोवियम वायोफर्टिलाइजर से उपचारित करें । शुरू में बरसीम की बढ़ोतरी कम होती हैं तथा शुरू में अधिक चारा प्राप्त करने के लिए ७०० ग्राम जापानी सरसों या चाईनीज कैवेज व १० किग्रा जई का बीज मिलाकर बोयें।

बीजाई के पहले आधा बोरा यूरिया तथा ४ बोरे सिंगल सुपर फासफेट डालें। यदि जई या सरसों भी साथ में बीजी हो तो आधा बोरा यूरिया और डाल दें। हल्की रेतीली मिट्टी में मैंगनीज की कमी पाई जाती है। एक कि.ग्रा. मैगनीज सल्फेट का (०.७ प्रतिशत) को २०० लीटर में घोलकर कमी वाली फसल में छिडक सकते हैं । छिडकाव के १७ दिन बाद ही चारा काटें। काली चींटी बरसीम के बीजों को खा जाती है। इसके बचाव के लिए मिथाईल पैराथियान २ प्रतिशत का धूडा करें। तना गलन रोग से बचाव के लिए ०.१ प्रतिशत वाविस्टिन घोल के साथ खेत को सिंचित करें।

**सितम्बर माह की सब्जियां**

सितम्बर माह सब्जियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ खेतों में फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, गाजर, मूली लगे हुए हैं तथा कुछ में लगाने की तैयारी है। इस माह कुछ अन्य सब्जियां भी लगा सकते हैं।

**बैंगन**

यदि पाला से पोध की रक्षा हो सकती है तो सितम्बर में बैंगन की रोपाई कर सकते है। यदि बैंगन एक महीना पहले रोपे है तो यूरिया की १/२ बोरा प्रति एकड दे दें। दो महीने पुरानी फसल में भी तीसरी मात्रा के लिए १/ २ बोरा यूरिया डाल दें। बैगन की मोढ़ी फसल में भी १/ २ बोरा प्रति एकड डालें। यूरिया देने से पहले सिंचाई जरूर करें। बैंगन में रस चूसने वाले कीडों, फल छेदक तथा दीमक का हमला होता है। दीमक के लिए ०.३ प्रतिशत मिथाईल पैराथियान तथा वाकी कीडों के लिए ०.०७ प्रतिशत इण्डोसल्फान फूल आने पर छिडकें। फल लगे हों, तो फल तोडकर छिडकाव करें। बीमारियों से बचाव के लिए बीजोपचार ही उत्तम विधि है।

**टमाटर**

विशेष स्थितियों में टमाटर सितम्बर में बोया जा सकता है यदि पाले से बचाव संभव है। यदि टमाटर अगस्त में रोपे हैं तो रोपाई के २७ दिन बाद १ बोरा यूरिया प्रति एकड डाल दें। १०-१७ दिन बाद हल्की सिंचाई करते रहें। टमाटर में निराई-गुडाई अधिक पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए पूसा-१२० किस्म लगायें ।

**फूलगोभी व पत्तागोभी**

अगस्त में बोये पोधे अब रोपाई के लिए तैयार हैं। हल्की दोमट मिट्टी मे ४- ७ हपते पुरानी पोध को १.७ फुट की दूरी पौधों तथा लाईनों में रखें। रोपाई के बाद सिंचाई ७-१० दिन बाद करते रहें। फसल में निराई गुडाई तथा मिट्टी चडाना बहुत जरूरी है। खेत में रोपाई से पहले २ बोरे ऋसगल सुपर फासफेट , १/ २ बोरा म्युरेट आफ पोटाश तथा २० टन देशी गली-सडी खाद डालें। रोपाई के १७ दिन वाद १ बोरा यूरिया डालें। क्षारीय मिट्टियों में ७ -८ कि. ग्रा.वोरेक्स (वोरान ) डालें। कीडों से बचाव के लिए ०.२ प्रतिशत मैलाथियान की छिडकाव समय-समय पर आवश्यकतानुसार करें। बीमारियों से बचाव के लिए पोध को २ - ३ ग्राम कैपटान प्रति लीटर पानी में घोलकर डुबोयें ।

**पालक व मेथी**

पत्तों वाली सब्जियों में कैलसियम, लोहा, विटामिन ए, बी, व सी काफी मात्रा में होते हैं। पालक व मेथी हल्की मिट्टियों में तथा ठण्डे व शुष्क मौसम में अच्छे होते हैं। दोनों सब्जियों को सितम्बर के शुरू में बीज दें। उन्नत किस्में हैं - पालक-आल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित। मेथी- पूसा अर्ली बंनचिग व मैथी कसूरी किस्में ६-७ कटाई देती हैं। दोनों फसलें १००- २०० क्विंटल प्रति एकड पैदावार देती हैं।

खेत तैयार करते समय १७ टन देशी खाद के साथ २.७ बोरे सिंगल सुपर फासफेट तथा आधा बोरा यूरिया डालें। हर कटाई के बाद पालक में आधा बोरा यूरिया तथा मैथी में १/४ बोरा यूरिया डालें। पालक के लिए १० कि.ग्रा.बीज को १ फुट दूर लाईनों में लगायें। पौधे के बीच ४ - ६ ईंच का फासला रखें । सिंचाई प्रत्येक सप्ताह करें तथा दो बार खरपतवार निकालें।

**गाजर, मूली व शलगम**

पूसा देशी मूली और गाजर में पूसा केसर व पूसा मेघाली तथा शलगम की व्हाईट-४ और पार्पल टाप व्हाईट ग्लोब सितम्बर में भी लगाई जा सकती है। अगस्त में लगाई फसलें में आधा बोरा यूरिया डालें। हल्की सिंचाई ८-१० दिन बाद करते रहें। सितम्बर में एक गोडाई तथा मिट्टी चढ़ाना अच्छा रहेगा।

**बागवानी**

सितम्बर माह में सदाबहार पेड जैसे नींबू जाति के फल, आम, बेर, लीची, अमरूद लगा सकते हैं। बाग लगाने से पहले ३ गुणा ४ फुट के गढ़ढ़े खोद लें। गढ़ढ़े की उपर की मिट्टी को बराबर सड़ी-गली देसी खाद से मिलाकर तथा २ कि.ग्रा.जिप्सम भी डालें। दीमक के खतरे वाले क्षेत्र में १०- २० मि.ली.क्लोरपाइरीफास २० ई.सी. प्रति गढ़ढ़ा डालें ।

**बेर** - सितम्बर में इसकी रोपाई हो सकती है। पौधे निकालने से पहले फालतू पत्ते उतार दें। पोधों में २७ फुट दूर लगाने से ७२ पेड प्रति एकड लग सकते हैं। नये पोधे की १७ दिन के अन्तर पर सिंचाई करें। सितम्बर के माह में बेर के पुराने बागों की भी सिंचाई करें ।

**अमरूद**- इलाहावादी सफेदा, बनारसी सुरखा तथा सरदार किस्मों को सितम्बर में रोपा जा सकता है। नये बागों की नियमित सिंचाई करें। अमरूद की फल-मक्खी के रोकथाम के लिए ७०० मि.ली.मैलाथियान का ७ -१० दिन के अन्तर पर छिडकाव करें ।

**फूल** - सितम्बर माह में सुन्दर फूल बीजने का समय भी है। गैंदा के अलावा, कैलनडुला, विगोनिया, गुलदाउदी, डहलिया, स्वीट पी, सूरजमुखी, जिनीया, डोगपलावर, कारनेसन, पोपी, लारकसपुर इत्यादि फूल के लिए क्यारियां अच्छी तरह तैयार करके बीज दें ताकि सर्दियों में आप सुन्दर फूलों का भी आनन्द ले सकें । **स्रोतः विकासपीडिया एवं ज़ेवियर समाज सेवा संस्थान**

# जनविश्वास के कस्टोडियन हैं ब्लाक प्रमुखः जेपी नड्डा

## किसान हित में मोदी सरकार के कार्य अभूतपूर्व

लखनऊ ( उ.प्र.समाचार सेवा )। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश के किसानों के लिए भारतीय

**भाजपा अध्यक्ष ने की योगी सरकार की जमकर तारीफ**

जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में मात्र एक लाख २१ हजार करोड़ रूपये कृषि पर खर्च होता था जिसे मोदी सरकार ने बढाकर दो लाख ११ हजार करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने की है। उन्होंने प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुखों को सम्बोधित करते हुए उन्हें जनता के विश्वास का कस्टोडियन बताया। श्री नड्डा शनिवार को राजधानी स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित सभागार में प्रदेश भर के भाजपा के प्रत्याशी



**सबसे कम आयु की जिला पंतायत अध्यक्ष आरती का सम्मान**

के रूप में जीते जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए श्री नड्डा ने आगे कहा कि आप पर जनता ने भरोसा किया है। आप का दायित्व है कि आप केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। श्री नड्डा ने कहा कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है। आप जनता के नेता ही नहीं बल्कि उसके विश्वास के कस्टोडियन हैं। जनता के इस विश्वास को आप संभाल कर रखें। यूपी में हुए पंचायत चुनाव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि योगी सरकार ने सफलता पूर्वक पंचायत चुनाव कराकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केन्द्र की योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में माताएं और बहनें धुंएं में अपना फेफड़ा खराब करके खाना बनाती थीं। अब मोदी सरकार ने तस्वीर बदल दी है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी बदल दी है।

इस मौके पर श्री नड्डा ने किसान सम्मान निधि, किसान पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की भी चर्चा की। किसानों के हित की योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि पहले किसानों को यूरिया लेने के लिए लाठी खानी पड़ती थी। अब नीम कोटेड यूरिया से स्थिति बदल गई है। अब यूरिया पर ब्लैक मार्केटिंग पूरी तरह से बंद हो गई है।

सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव सफलता से सम्पन्न कराया गया। यह चुनाव देश का ही दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। उन्होंने कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार द्वारा किये गए कार्यों और वैक्सीनेशन की भी जानकारी दी। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी विचार व्यक्त किये। पंचायत सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद थे।

इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलरामपुर से निर्वाचित सबसे कम आयु की जिला पंचायत अध्यक्ष कु. आरती और पंचायत प्रतिनिधि सोनिया का सम्मान किया।

# उत्तर प्रदेश में बीज ग्राम योजना में गेहूं और धान बीज पर विशेष अनुदान मिलेगा

## कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के लिए जमीन हस्तांतरित

### मंत्रिपरिषद के फैसले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद् ने विशेष बीज ग्राम योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत गेहूं और धान के बीज पर विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय कुमार गंज अयोध्या का देवरिया में कृषि ज्ञान केन्द्र खोलने के लिए जमीन देने का निर्णय लिया गया है। ये फैसले १६ अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रपरिषद् की बैठक में लिये गए।

मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से आगामी वित्तीय वर्षों हेतु बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र पोषित योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य



विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धान एवं गेहूं बीज वितरण पर कृषकों को मूल्य का पचास प्रतिशत एवं अधिकतम दो हजार रुपये प्रति कुन्तल, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है ।

बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूं के बीजों के वितरण पर मूल्य का पचास प्रतिशत एवं अधिकतम एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रति कुन्तल धान पर एवं एक हजार छह सौ रुपये प्रति कुन्तल गेहूं पर अनुदान अनुमन्य किया गया है, जो अन्य केन्द्रीय योजनाओं की तुलना में कम है। इससे कृषक इस योजना की ओर कम आकर्षित होते हैं, जिसके कारण भारत सरकार से आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग नहीं हो पाता। प्रस्तावित विशेष अनुदान की नई व्यवस्था का उद्देश्य कृषकों के माध्यम से उन्नतिशील प्रजातियों के बीजोत्पादन को प्रोत्साहित कर, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना तथा अनुदान पर विभिन्न फसलों के उन्नतशील प्रजातियों के बीज अधिकाधिक कृषकों को उपलब्ध कराना है ।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज मूल्य पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की अधिकतम धनराशि दो हजार रुपये प्रति कुंतल दिये जाने के दृष्टिगत, चालू वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से प्रदेश में जायद, खरीफ एवं रबी मौसम की विभिन्न फसलों के बीजों पर बीज ग्राम योजनान्तर्गत 'बीज उत्पादन कार्य मद' में केन्द्र सरकार द्वारा धान एवं गेहूं के बीज मूल्य पर पचास प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि क्रमशः एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रति कुन्तल एवं एक हजार छह सौ रुपये प्रति कुन्तल तक के अनुदान के अतिरिक्त बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु, धान के बीज पर दो सौ पचास रुपये प्रति कुन्तल एवं गेहूं के बीज पर चार सौ रुपये प्रति कुन्तल का अतिरिक्त अनुदान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

### कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया हेतु भूमि हस्तांतरण

मंत्रिपरिषद ने जिलाधिकारी देवरिया, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद तथा राजस्व विभाग की आख्याओं/परामर्श के दृष्टिगत ग्राम

*गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।*

मेहड़ तप्पा धतुरा, परगना-सिलहट, तहसील व जिला देवरिया स्थित भूमि को कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया हेतु कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से कृषकों तथा कृषि से सम्बन्धित जनसमुदाय को जागरूक तथा शिक्षित बनाने और प्रदर्शन, प्रशिक्षण, परीक्षण, किसान मेला, गोष्ठी एवं सामयिक साहित्य प्रसार कार्यों से नवीन कृषि तकनीकों को पहुंचाने एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी लाभ होंगे।